



प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ आंचलिक कार्यालय ने विद्यार्थियों से वसूले गए शुल्क के दुर्विनियोजन से संबंधित धन शोधन के अपराध के लिए मेसर्स फिटजी लिमिटेड तथा उसके निदेशकों दिनेश कुमार गोयल व मोनीला गोयल के विरुद्ध दिनांक 15.10.2026 को माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, गाजियाबाद के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की है। ईडी ने उन्हें दोषी ठहराने तथा जांच के दौरान जब्त व अनंतिम रूप से कुर्क की गई 71.88 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों के अधिहरण की मांग की है।

ईडी की जांच उग्र पुलिस द्वारा नोएडा व ग्रेटर नोएडा में तथा मप्र पुलिस द्वारा भोपाल में बीएनएस, 2023 की धारा 316(2), 318(4), 61(2) व 3(5)—जो कि आईपीसी, 1860 की धारा 406, 420, 120बी व 34 के अनुरूप हैं—के तहत दर्ज चार एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि फिटजी ने जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संचालित दो से चार वर्ष की अवधि के कोचिंग कार्यक्रमों के लिए प्रति विद्यार्थी 2.8 लाख रुपये से 3.5 लाख रुपये का शुल्क कार्यक्रम पूरा करने के आश्वासन के साथ अग्रिम रूप से वसूला। हालांकि, वेतन का भुगतान न होने के कारण फैकल्टी सदस्य संस्था छोड़कर चले गए और बिना किसी पूर्व सूचना के कोचिंग केंद्र अचानक बंद कर दिए गए। यह भी आरोप है कि प्रबंधन ने शुल्क को विपथित कर दिया तथा फैकल्टी सदस्यों के जाने के बाद भी झूठे आश्वासनों पर नवागत विद्यार्थियों से शुल्क वसूलना जारी रखा। नोएडा पुलिस ने इस मामले में दिनेश कुमार गोयल और मोनीला गोयल को आरोपित बनाते हुए आरोप-पत्र दायर किया है। यह आरोप-पत्र लगभग 300 पीड़ितों, फिटजी कोचिंग केंद्रों के संचालकों व अन्य गवाहों के बयानों के साथ-साथ शुल्क की रसीदों और जांच के दौरान एकत्र अन्य साक्ष्यों पर आधारित है।

जांच से पता चला है कि फिटजी ने मई 2024 से फरवरी 2025 के बीच अचानक अपने 32 केंद्र बंद कर दिए, जिसकी वजह से 14,411 नामांकित विद्यार्थी उस कोचिंग से वंचित रह गए जिसके लिए उन्होंने भुगतान किया था। उक्त कंपनी ने मार्च 2029 तक चलने वाले कार्यक्रमों के लिए भी विद्यार्थियों को प्रवेश देना जारी रखा, हालांकि उसे इस बात की जानकारी थी कि वह इन्हें पूरा नहीं कर पाएगी। इस प्रकार वसूल शुल्क तब व्यय किए गए जब कंपनी अनवरत घाटे में थी। अपने पास रखा गया और दुर्विनियोजित शुल्क का वह भाग, जिसकी मात्रा 85.79 करोड़ रुपये आंकी गई है, इस प्रकरण में अपराध की आय के सिवाय कुछ और नहीं है।

आगे की जांच में यह सामने आया है कि उक्त कंपनी का संचालन करने वाले दिनेश कुमार गोयल व मोनीला गोयल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से 24.92 करोड़ रुपये बतौर वेतन के रूप में लिए। चूंकि गोयल परिवार के पास 86.31% हिस्सेदारी है, इसलिए निदेशकों ने बिना किसी बाहरी समीक्षा के स्वयं ही अपना वेतन स्वीकृत कर लिया। उन्होंने सबसे पहले खुद को भुगतान किया, जबकि अन्य कर्मचारियों का वेतन या तो देर से मिला या मिला ही नहीं। दिनेश कुमार गोयल हर महीने लगभग 56 लाख रुपये वेतन आहरित करते थे। मोनीला गोयल हर महीने 25 लाख रुपये से अधिक आहरित करती थीं, हालांकि उन्होंने स्वयं यह स्वीकार किया है कि वह नियमित रूप से कार्यालय नहीं जाती थीं और घर से ही चेक पर हस्ताक्षर करती थीं। जब केंद्र बंद हो रहे थे, तब भी उन्हें भुगतान किया जाता रहा।

उल्लेखनीय है कि ईडी ने पूर्व में, 24.04.2025 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के 07 परिसरों में तलाशी ली थी, जिसके परिणामस्वरूप 10 लाख रुपये नकद व 4.86 करोड़ रुपये के आभूषण जब्त किए थे तथा 09.10.2026 को 66.92 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया था।

आगे की जांच जारी है।